

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या- प्र०2/स्था०-वि०उ०-19-02/2025

290 (5)

पटना, दिनांक 14/01/26

राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-3/एम०-2-5-वे०पु०-28/99/4685 (वि०)-2, दिनांक 25.03.2003 द्वारा अधिसूचित "बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2003" दिनांक 09.08.1999 के प्रभाव से प्रवृत्त किया गया था, जिसके प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार के ग्रुप बी०, सी० एवं डी० के वैसे नियमित कर्मियों को जिन्हें अपने वृत्ति के दौरान किसी वित्तीय उन्नयन का लाभ नहीं मिला हो, 12 एवं 24 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण होने पर प्रोन्नति के पदसोपान में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य है तथा वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-6068 दिनांक 16.06.2023 द्वारा ए०सी०पी० नियमावली 2003 अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन दिनांक 12.07.2010 तक प्रदान किया जा सकता है। वित्त विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-10543 दिनांक 06.10.2025 द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन, 2025 दिनांक 01.01.2009 से प्रभावी किया गया है। इस योजना के प्रावधान के अनुसार तीन (क्रमशः 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा पुरी करने पर) वित्तीय उन्नयन वेतन-बैंड/ग्रेड पे/वेतन लेवल में अनुमान्य है।

सप्तम वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त वित्त विभाग के पत्राक-3ए-2-वे०पु०-08/2017-8928/वि०, दिनांक 15.11.2017 के कंडिका-2 (ii) द्वारा यह प्रावधान किया गया है, कि वैसे राज्य सेवा के पदाधिकारी, जिनका मूल कोटिय वेतनमान PB-2+4800/- अथवा PB-2+5400/- स्वीकृत रहा तथा उन्हें चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर in-situ उत्क्रमण के तहत PB-3+5400/- का वेतनमान अनुमान्य किया गया है, को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-9 में वेतन पुनरीक्षण किया जायेगा। चार वर्ष की सेवा पूरी होने तथा सेवा सम्पुष्टि के उपरान्त PB-3+5400/- में in-situ उत्क्रमण, जिसे पूर्व में एम०ए०सी०पी० के तहत एक वित्तीय उन्नयन माना गया था, को अनदेखी की जायेगी तथा ऐसे पदाधिकारी को नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष अथवा दिनांक 01.01.2016, जो बाद में हो, से प्रथम एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-11 के अनुमान्य होगा।

2. उपरोक्त प्रावधानों तथा इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधे नियुक्त निम्नलिखित पदाधिकारियों को सम्यक विचारोपरान्त कालावधि के अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम-6 में अंकित तिथि से उक्त कॉलम में अंकित वेतनमान में प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन/रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन, कॉलम-7 में अंकित तिथि से उक्त कॉलम में अंकित वेतनमान में द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन/रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन एवं कॉलम-8 में अंकित तिथि से उक्त कॉलम में अंकित वेतनमान में तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाता है:-

क्र०	संबंधित अभियंता का नाम	वर्ष 2011 का वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि / सेवा निवृत्ति की तिथि	प्रथम योगदान की तिथि/ सेवा सम्पुष्टि की तिथि	प्रथम सुनिश्चित/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन देय तिथि एवं वेतनमान	द्वितीय सुनिश्चित/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन देय तिथि एवं वेतनमान	तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन देय तिथि एवं वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री इन्द्रजीत कुमार आर्य	144 AE	01-01-1970 31-12-2029	15-06-1995 22-02-2008	—	—	15-06-2025 Level-13	
2	श्री उदय कुमार दास	160 AE	12-08-1968 31-08-2023	14-06-1995 02-02-2007	—	—	14-06-2025 Level-13A	

क्र०	संबंधित अभियंता का नाम	वर्ष 2011 का वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि / सेवा निवृत्ति की तिथि	प्रथम योगदान की तिथि / सेवा सम्पुष्टि की तिथि	प्रथम सुनिश्चित / रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन देय तिथि एवं वेतनमान	द्वितीय सुनिश्चित / रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन देय तिथि एवं वेतनमान	तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन देय तिथि एवं वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	श्री प्रमोद कुमार	171 AE	01-01-1967 31-12-2026	11-07-1995 19-05-2009	—	—	11-07-2025 Level-13	
4	श्री राणा प्रभाष चन्द्र	177 AE	11-12-1967 31-12-2027	30-06-1995 15-04-2009	—	—	30-06-2025 Level-13	
5	श्री सुनील कुमार सुमन	128 AE	10-01-1972 31-01-2032	03-01-1995 04-10-2007	—	—	03-01-2025 Level-13	
6	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	565 AE	27-03-1971 31-03-2031	10-09-2004 23-06-2007	—	10-09-2024 Level-12	—	
7	श्री प्रभात कुमार	585 AE	11-01-1971 31-01-2031	10-09-2004 21-08-2009	—	10-09-2024 Level-12	—	
8	श्री राकेश कुमार	594 AE	11-10-1968 31-10-2028	04-08-2004 13-10-2009	—	04-08-2024 Level-12	—	
9	श्री शशि भूषण सिंह	601 AE	01-01-1974 31-12-2033	04-08-2004 13-10-2009	—	04-08-2024 Level-12	—	
10	श्री अरविन्द प्रसाद गुप्ता	603 AE	01-03-1969 28-02-2029	13-09-2004 23-06-2007	—	13-09-2024 Level-12	—	
11	श्रीमती सीमा रानी	611 AE	22-12-1974 31-12-2034	06-08-2004 01-12-2006	—	06-08-2024 Level-12	—	
12	श्री आलोक कुमार ठाकुर	647 AE	30-08-1972 31-08-2032	16-04-2005 27-08-2007	—	16-04-2025 Level-12	—	
13	श्री अभय कुमार	655 AE	15-11-1973 30-11-2033	11-11-2005 11-11-2007	—	11-11-2025 Level-12	—	
14	श्री ललित कुमार	153 AE	25-11-1966 30-11-2026	15-06-1995 04-10-2007	—	—	15-06-2025 Level-13A	
15	श्री मनीष कुमार वर्मा	226/ 2018	15-01-1985 31-01-2045	01-02-2014 10-06-2016	01-02-2024 Level-11	—	—	
16	श्री दीपक कुमार मिश्रा	209/ 2018	09-07-1973 31-07-2033	14-12-2012 26-09-2017	01-07-2025 Level-11	—	—	देय तिथि दिनांक 14.12.2022 किन्तु संसूचित शास्ति के प्रभाव समाप्त होने की तिथि 01.07.2025 के प्रभाव से प्रथम एम०ए०सी०पी स्वीकृत।
17	श्री शशि रंजन कुमार	11/2019 (Mech.)	01-01-1980 31-12-2039	15-01-2014 26-09-2017	15-01-2025 Level-11	—	—	
18	श्री सुबोध कुमार	12/2019 (Mech.)	01-02-1986 31-01-2046	13-01-2014 26-09-2017	13-01-2025 Level-11	—	—	

3. स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन होने पर कर्मचारी का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या-630, दिनांक 21.01.2010 के कंडिका-12 में अथवा वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-3ए०-2-वे०पु०-09/2016-3590, दिनांक 24.05.2017 की कंडिका-11 एवं वित्त विभाग के पत्रांक-3ए०-2-वे०पु०-08/2017-8928/वि०, दिनांक 15.11.2017 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।

4. यह वित्तीय उन्नयन, व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।
5. यदि पूर्व में सामान ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति दी गयी हो तो उसे इस हद तक संशोधित समझा जाय। (उदाहरण के रूप में यदि किसी अभियंता को प्रथम ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति पूर्व में दी गयी है तथा इस अधिसूचना में भी प्रथम ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० स्वीकृत की गयी है तो इस अधिसूचना के हद तक उक्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० संशोधित समझी जायेगी)
6. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित ओदश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली उनसे कर ली जायेगी।

प्रस्ताव पर विभागीय स्क्रीनिंग समिति के अनुशंसा के उपरान्त सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सुमित वत्स)

अवर सचिव (प्र०को)

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक- प्र०2/स्था०-वि०उ०-19-02/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ/ वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृपया अपने अभिलेख से सहायक अभियंता के पद पर प्रथम योगदान की तिथि एवं सेवा में टूट संबंधी आवश्यक जाँच कर तदनुसार वेतन पुर्जा निर्गत किया जाय।

ह०/-

(सुमित वत्स)

अवर सचिव (प्र०को)

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक- प्र०2/स्था०-वि०उ०-19-02/2025

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई- गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित। (द्वारा आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/-

(सुमित वत्स)

अवर सचिव (प्र०को)

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक- प्र०2/स्था०-वि०उ०-19-02/2025

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, सभी उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना/निदेशक, परीक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग/उप निदेशक, परीक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित संबंधित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुमित वत्स)

अवर सचिव (प्र०को)

ज्ञापांक- प्र०2/स्था०-वि०उ०-19-02/2025

पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय/कार्य प्रबधन) पथ निर्माण विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुमित वत्स)

अवर सचिव (प्र०को)

पटना,दिनांक 14/01/26

ज्ञापांक- प्र०2/स्था०-वि०उ०-19-02/2025

291(S)

प्रतिलिपि:- IT Manager पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(सुमित वत्स)

अवर सचिव (प्र०को)

14.01.26